

I/50413/2023

**वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास आयुक्त श्री ए बिपिन मेनन की अध्यक्षता में 28.08.2023 को सुबह 11:00 बजे आयोजित जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र, सीतापुरा (बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र) की अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।**

बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

- a) श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (दिनांक 23.09.2008 के पत्र के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)
- b) श्री प्रवीण कुमार मित्तल, अतिरिक्त आयकर आयुक्त, जयपुर।
- c) सुश्री अनुकृति सिंह, उप निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- d) श्री रामजीलाल मीना, उप डीजीएफटी, जयपुर
- e) श्री अनिल लखानी, उप प्रबंधक, रीको, जयपुर।

(i) श्री बुद्धि प्रकाश, निर्दिष्ट अधिकारी; (ii) श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा; (iii) श्री संजय झा, सीनियर आरएम (रीको); और (iv) श्री पंकज शर्मा, सहायक विकास आयुक्त भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति पूरा हो गया और बैठक आगे बढ़ सकती है।

अध्यक्ष ने प्रारंभ में प्रतिभागियों का स्वागत किया और क्रमिक रूप से कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों/आवेदकों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

**कार्यसूची नंबर 1: 27.07.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:**

यह सूचित किया गया कि 27.07.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के विरुद्ध अनुमोदन समिति/व्यापार/इकाई के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। अतः दिनांक 27.07.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुसमर्थन किया गया।

**कार्यसूची नंबर 2: अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के लिए मेसर्स स्टोन बीड्स इंटरनेशनल का प्रस्ताव:**

2.1 व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र नंबर 2-24/2004- विशेष आर्थिक क्षेत्र-II (जे) परियोजना/1062 दिनांक: 23.06.2004 के नवीनीकरण के लिए मेसर्स स्टोन बीड्स इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर एच1-133, विशेष आर्थिक क्षेत्र-II, सीतापुरा, जयपुर के प्रस्ताव पर बैठक में अधिकृत मदों पर चर्चा की गई।

2.2 अनुमोदन समिति के समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से कमियों के सुधार के अधीन छह महीने की अतिरिक्त अवधि यानी 14.03.2024 तक प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी।

**कार्यसूची नंबर 3: अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के लिए मेसर्स मंगलम जेम्स एंड ज्वेलरी का प्रस्ताव:**

3.1 बैठक में अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के लिए मेसर्स मंगलम जेम्स एंड ज्वेलरी प्लॉट नंबर एफ-89, विशेष आर्थिक क्षेत्र-II, सीतापुरा, जयपुर के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

3.2 अनुमोदन समिति के समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ।

सुरेंद्र मलिक

I/50413/2023

3.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को अगले इकाई अनुमोदन समिति के लिए स्थगित कर दिया। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने इकाई को पहले से बताई गई सभी कमियों को दूर करने और रीको का 2.25 लाख रुपये का बकाया जमा करने का निर्देश दिया।

**कार्यसूची नंबर 4: अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के लिए मेसर्स बामलवा ज्वेल्स का प्रस्ताव:**

4.1 व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र नंबर 2-117- विशेष आर्थिक क्षेत्र-II (जे)/ परियोजना/379 दिनांक 12/05/2006 के नवीनीकरण के लिए मेसर्स बामलवा ज्वेल्स, प्लॉट नंबर एच-63, विशेष आर्थिक क्षेत्र-II, सीतापुरा, जयपुर के प्रस्ताव पर बैठक में अधिकृत मदों पर चर्चा की गई।

4.2 श्री जय हनुमान सोनी, प्रवर्तक, इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन वह पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक के दौरान उनके निराशाजनक निर्यात प्रदर्शन के कारणों की व्याख्या नहीं कर सके।

4.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को अगले इकाई अनुमोदन समिति के लिए स्थगित कर दिया। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने इकाई को पहले से बताई गई सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इकाई में उपलब्ध संयंत्र और मशीनरी और कच्चे माल का भौतिक सत्यापन जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीमा शुल्क प्रभाग द्वारा किया जा सकता है और इसकी अगली बैठक में इकाई अनुमोदन समिति के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अलावा, इकाई को खरीदार के ऑर्डर को पूरे विवरण के साथ प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था।

**कार्यसूची नंबर 5: अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के लिए मेसर्स लखोटिया ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रस्ताव:**

5.1 व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र नंबर 2-4/2004- विशेष आर्थिक क्षेत्र-II (जे) परियोजना/542 दिनांक: 28.05.2004 के नवीनीकरण के लिए मेसर्स लकोहटिया ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्लॉट नंबर एच1-77, विशेष आर्थिक क्षेत्र-II के प्रस्ताव पर बैठक में अधिकृत मदों पर चर्चा की गई।

5.2 श्री आर सी लखोटिया प्रबंधक, इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन 5 वर्षों के अंतिम ब्लॉक के दौरान उनके निराशाजनक निर्यात प्रदर्शन के कारणों की व्याख्या नहीं कर सके।

5.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को अगले इकाई अनुमोदन समिति के लिए स्थगित कर दिया। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने इकाई को पहले से बताई गई सभी कमियों की पुष्टि करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीमा शुल्क प्रभाग को इकाई का स्टॉक सत्यापन करने और अपनी अगली बैठक में इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, इकाई को खरीदार के ऑर्डर को पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

**कार्यसूची नंबर 6: अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के लिए मेसर्स एकेम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव:**

6.1 व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र नंबर 2-120- विशेष आर्थिक क्षेत्र-II (जे) परियोजना/495 दिनांक: 03.07.2006 के नवीनीकरण के लिए मेसर्स एकेम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर एच154, विशेष आर्थिक क्षेत्र-II के प्रस्ताव पर बैठक में अधिकृत मदों पर चर्चा की गई।

6.2 श्री मनीष जैन निदेशक, इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

सुरेंद्र मलिक

I/50413/2023

6.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई का निर्यात प्रदर्शन पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक के दौरान उनके अनुमानित निर्यात की तुलना में बहुत अनियमित और बहुत कम है। उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को अगले इकाई अनुमोदन समिति के लिए स्थगित कर दिया। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने इकाई को पहले से बताई गई सभी कमियों की पुष्टि करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इकाई को खरीदार के ऑर्डर को पूरे विवरण के साथ प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था।

**कार्यसूची नंबर 7: नई वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के लिए मेसर्स मिलेनियम ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव:**

7.1 मौजूदा स्वीकृति पत्र संख्या 2-92- विशेष आर्थिक क्षेत्र-II (जे) परियोजना/309 में नई वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के लिए मेसर्स मिलेनियम ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर एच-187, विशेष आर्थिक क्षेत्र-II, सीतापुरा, जयपुर के दिनांक: 28.06.2011 प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गई।

7.2 श्री अनुराग खत्री, निदेशक, इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों के सही विवरण और उत्तरों के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 जमा करेगी।

7.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर मौजूदा स्वीकृति पत्र में वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी:

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71141110	चाँदी की वस्तुएँ	किग्रा	100
2.	71141930	सोने और प्लेटिनम की वस्तुओं के भाग	किग्रा	50
3.	05080010	मूंगा	किग्रा	50

इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित वस्तुओं के विवरण में भी परिवर्तन देखा: -

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71131149	मूंगा से जड़ित चाँदी के आभूषण	किग्रा	100
2.	71131919	मूंगा से जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	50

7.4 यह मंजूरी इकाई को पहले ही बताई गई टिप्पणियों के सुधार और रीको के 3,12,000/- रुपये के बकाया को जमा करने के अधीन है। इकाई वाणिज्य विभाग द्वारा जारी वि.व्या.नी 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 का सख्ती से पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई हीरे से जड़ित चाँदी के आभूषणों की संभालने के संबंध में विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा के पत्र संख्या 1158 दिनांक 31.01.2023 के माध्यम से जारी मानक संचालन प्रक्रिया का भी पालन करेगी। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से मूंगा जैसे आयात के लिए प्रतिबंधित उत्पादों की स्रोत की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसके अलावा, मूंगा का आयात सीआईटीईएस (जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन) के प्रावधानों के अधीन होगा। इसके अलावा, उचित अनुमोदन/लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित वस्तुओं के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बांड सह कानूनी उपक्रम भी निष्पादित करेगी।

**कार्यसूची संख्या 8 नई वस्तुओं को जोड़ने/संशोधन के लिए मेसर्स आर.एस. ज्वेल्स का प्रस्ताव:**

सुरेंद्र मलिक

I/50413/2023

8.1 मौजूदा स्वीकृति पत्र नंबर 2-169- विशेष आर्थिक क्षेत्र-॥ (जे) परियोजना/1647 में नई वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के लिए मैसर्स आर.एस. ज्वेल्स, प्लॉट नंबर जी-36, विशेष आर्थिक क्षेत्र-॥, सीतापुरा, जयपुर जयपुर के दिनांक: 18.10.2007 प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गई।

8.2 श्री रोहन बागड़ा, भागीदार, इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों के सही विवरण और उत्तरों के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 जमा करेगी।

8.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर मौजूदा स्वीकृति पत्र में वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी:

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71141110	अन्य चाँदी के आभूषण	किग्रा	1000
2.	71131919	अन्य सोने के आभूषण	किग्रा	100
3.	71131929	अन्य प्लैटिनम के आभूषण	किग्रा	20

इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित वस्तुओं के विवरण में भी परिवर्तन देखा: -

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	96019040	मूंगे की वस्तुएँ	किग्रा	80

8.4 यह मंजूरी इकाई को पहले ही बताई गई टिप्पणियों के सुधार और साझेदारी विलेख में बदलाव के कारण रीको के संशोधित पट्टा विलेख को जमा करने के अधीन है। इकाई वाणिज्य विभाग द्वारा जारी वि.व्या.नी 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 का सख्ती से पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई हीरे से जड़ित चाँदी के आभूषणों की संभालने के संबंध में विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा के पत्र संख्या 1158 दिनांक 31.01.2023 के माध्यम से जारी मानक संचालन प्रक्रिया का भी पालन करेगी। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से मूंगा जैसे आयात के लिए प्रतिबंधित उत्पादों की स्रोत की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, मूंगे का आयात सीआईटीईएस (जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन) के प्रावधानों के अधीन होगा। इसके अलावा, उचित अनुमोदन/लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित वस्तुओं के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बांड सह कानूनी उपक्रम भी निष्पादित करेगी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अबिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त